

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 11/2014  
संस्थित दिनांक-24/01/2014  
फाईलिंग नंबर-230303005882014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1- विनोद पुत्र गोपाल आदिवासी उम्र 32 साल  
निवासी वार्ड नंबर-1 छत्तरपुरा गोहद थाना गोहद  
-----अभियुक्त

---

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
आरोपीगण द्वारा श्री पी0एन0 भट्टेले अधिवक्ता ।

---

### **-::- निर्णय -::-**

(आज दिनांक **27 फरवरी 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त विनोद के विरुद्ध धारा 435 भा0द0वि0 के तहत के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 21.11.13 को रात 1.00 बजे अंतर्गत थाना गोहद स्थित फरियादी प्रेमनारायण के मकान के सामने छत्तरपुरा वार्ड नंबर-1 गोहद में फरियादी प्रेमनारायण को नुकसान पहुंचाने के लिये उसकी बुलेरो गाडी क्रमांक-एम0पी0-30 सी-1556 में आग लगा दी जिससे उसका करीब सात लाख पैंतीस हजार रुपये का नुकसान अग्नि द्वारा रिष्टिकारित कर पहुंचाया ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी विनोद एवं फरियादी प्रेमनारायण दोनों एक ही मुहल्ले के निवासी होकर घटना के पहले से एकदूसरे से परिचित हैं। तथा यह भी स्वीकृत है कि घटना के समय फरियादी प्रेमनारायण माहौर की पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष थी और फरियादी प्रेमनारायण माहौर भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुका है तथा यह भी निर्विवादित है कि फरियादी प्रेमनारायण माहौर कम्युनिष्ट पार्टी का कार्यकर्ता है और साक्षी राधेलाल अ0सा0-1 व हरविलास अ0सा0-2 भी उसकी पार्टी के ही सदस्य हैं। तथा साक्षी कल्लू आदिवासी अ0सा0-5 भी उनके मुहल्ले का निवासी है। और संदीप अ0सा0-7 फरियादी प्रेमनारायण का पुत्र है। तथा यह

भी स्वीकृत है कि बताई गई घटना के समय विधानसभा चुनाव चल रहा था। तथा यह भी निर्विवादित है कि क्षतिग्रस्त हुआ वाहन फरियादी प्रेमनारायण का होकर बीमित था।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 20.11.2013 को फरियादी प्रेमनारायण माहौर प्रत्याशी माकपा गांवों में प्रचार करके अपनी बुलैरो गाडी क्रमांक-एसएलई- एम0पी0-30 ई-1556 को अपने घर के सामने खडी कर दी थी और उसके उपर खोली लगा दी थी। खाना खाने के बाद वह सब लोग सो गये। रात्रि करीब 10.00 बजे उसकी गाडी में अज्ञात राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों ने आग लगा दी। उसने यह उल्लेख इसलिये किया है कि क्योंकि वह गोहद विधानसभा से मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी से प्रत्याशी है। रात्रि प्रचार से लौटकर आने के बाद उसे सुबह फिर उसी गाडी से निकलना था। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद समय पर नहीं जागते तो घर भी आग के हवाले हो जाता। गाडी जलने से उसका नुकसान हो गया है। उसकी गाडी की कीमत 7,35,3000/- रुपये है। आग लगाने से करीब दो ढाई लाख रुपये का नुकसान हो गया है।
4. उक्त आशय के लिखित आवेदन पर से थाना गोहद द्वारा अप0क्र0-224/13 धारा-435 भा0द0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम की गयी। तत्पश्चात नक्शामौका, जप्ती, नुकसानी एवं गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
5. जे0एम0एफ0सी0 श्री केशवसिंह द्वारा प्रकरण उपार्पित किए जाने पर माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
6. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त विनोद के विरुद्ध धारा 435 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिश के कारण झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। बचाव पक्ष ने अपनी ओर से बचाव साक्षी क्र.-1 विनोद आदिवासी के रूप में स्वयं आरोपी ने अपनी साक्ष्य पेश की है।
7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
  - 1- क्या दिनांक 21-11-13 की रात्रि करीब 1.00 बजे फरियादी प्रेमनारायण के मकान के बाहर उसकी बुलैरो गाडी रजिस्ट्रेशन क्रमांक-एम0पी0-30 सी-1556 रखी थी?
  - 2- क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक व समय पर फरियादी प्रेमनारायण की उक्त गाडी में आग लगने से नुकसानी होकर रिष्टिकारित हुई?

- 3— क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक व समय पर आरोपी विनोद के द्वारा फरियादी के उक्त वाहन में आग लगाई गई?
- 4— क्या आरोपी ने धारा-435 भा.द.वि. के अर्थान्वयन में रिष्टिकारित की?
- 5— क्या आरोपी आयाशित था या उसे जानकारी थी कि उससे नुकसान कारित होने की संभाव्यता थी?
- 6— क्या उक्त रिष्टि से 100 रुपये से अधिक का नुकसान फरियादी प्रेमनारायण को कारित हुआ? यदि हाँ तो प्रभाव—

**—::—निष्कर्ष के आधार :—**

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 6**

8. उपरोक्त सभी वाद प्रश्न एक ही अपराध से संबंधित होकर एक दूसरे के पूरक होने से उनकी साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो और सुविधा की दृष्टि से उनका एकसाथ विश्लेषण और निराकरण किया जा रहा है।
9. अभियोजन की ओर से राधेलाल (अ0सा0-1), हजारीलाल (अ0सा0-2), प्रेमनारायण माहौर (अ0सा0-3), एन0पी0 यादव (अ0सा0-4), कल्लू आदिवासी (अ0सा0-5), राजपालसिंह तोमर (अ0सा0-6), संदीप माहौर (अ0सा0-7), दशरथ (अ0सा0-8), जे0पी0भट्ट (अ0सा0-9) का साक्ष्य कराया गया है। बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में स्वयं आरोपी ने विनोद आदिवासी (ब0सा0-1) के रूप में अपना परीक्षण कराया है। तथा अभियोजन की ओर से प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-8 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।
10. अभियोजन का उक्त मामला प्र0पी0-4 की लेखीय रिपोर्ट पर आधारित है जिस पर से प्र0पी0-5 की एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध की गई थी। कथानक मुताबिक फरियादी प्रेमनारायण अपनी बुलेरा गाडी क्रमांक-एम0पी0-30 सी-1556 से घटना के पूर्व दिनांक 20.11.13 को गांव में प्रचार करके वापिस आया था। और अपने घर के सामने उसने गाडी खडी कर दी थी। और रात को खाना खाने के बाद सो गया था। तभी करीब रात 1.00 बजे उसकी गाडी में अज्ञात राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों ने आग लगा दी। और वह उस समय विधानसभा गोहद से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी था। और उसे ऐसा भी प्रतीत होता था कि शायद वह समय पर नहीं आता तो उसका घर भी आग के हवाले हो जाता। जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर किये गये अनुसंधान में साक्षी संदीप, शीलाबाई, ओमप्रकाश व दशरथ के द्वारा दिये गये पुलिस कथनों में आरोपी विनोद द्वारा आग लगाने के आये तथ्यों के आधार पर उसे अभियोजित किया गया है। रिपोर्ट अज्ञात में की गई थी इसलिये यह देखना होगा कि क्या अभियोजन का उक्त मामला बताये गये तथ्यों पर से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है अथवा नहीं। क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि अभियोजन को अपना मामला स्वयं प्रमाणित करना होता है और संबंधित अपराध के आवश्यक अवयवों को प्रमाणित करने

का भार उसी पर होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत मुहम्मद उस्मान विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए0आई0आर0 1968 सुप्रीमकोर्ट पेज-1273 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 की व्याख्या करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आगजनी के अपराध के सभी संघटकों को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर रहता है और इस मामले में भी उस पर है।

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के अलावा शीलाबाई और ओमप्रकाश के अभियोजन की ओर से कोई कथन नहीं कराये गये हैं जिनके द्वारा आरोपी को आग लगाते हुए देखने की बात बताई गई थी। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि शीलाबाई जो कि फरियादी प्रेमनारायण की भाभी है, और ओमप्रकाश जो कि उसी मुहल्ले का निवासी है, उनका कथन न कराये जाने तथा स्वतंत्र साक्षी कल्लू आदिवासी अ0सा0-5 व दशरथसिंह अ0सा0-8 के द्वारा घटना का समर्थन न करने से अभियोजन का मामला संदिग्ध माना जाये। जबकि विद्वान ए0पी0पी0 का यह तर्क रहा है कि अभिलेख पर जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश की गई है उसके आधार पर निराकरण किया जाना चाहिए और उससे मामला सिद्ध होता है।
12. यह सही है कि अभियोजन के कथानक मुताबिक शीलाबाई और ओमप्रकाश भी साक्षी थे जिन्हें अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है तथा कल्लू आदिवासी अ0सा0-5 के रूप में और दशरथ अ0सा0-8 के रूप में परीक्षित हुए हैं। उन दोनों ने अभियोजन के कथानक अनुरूप समर्थन नहीं किया है। उन्हें अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण की भांति पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी अभियोजन के कथानक अनुरूप समस्त तथ्य नहीं आये हैं किन्तु केवल इस आधार पर अभिलेख पर प्रस्तुत की गई अन्य साक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है न ही अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है। यह अवश्य है कि ऐसी स्थिति में परीक्षित साक्षियों की अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण अपेक्षित हो जाता है।
13. कल्लू आदिवासी अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य तो आया है कि वह आरोपी व फरियादी दोनों को जानता है और उन्हीं के मुहल्ले का है। उसने यह भी बताया है कि घटना के समय विधानसभा चुनाव चल रहा था। और प्रेमनारायण माहौर की गाडी में आग लगने की उसे सुबह जानकारी मिली थी क्योंकि उसका घर बगल में ही है। लेकिन उसकी गाडी कैसे जली, किसने जलाई, इसकी उसे जानकारी नहीं है। न ही उससे इस संबंध में पुलिस ने कोई पूछताछ की। अर्थात् वह पुलिस को प्र0पी0-6 का कथन देने से इन्कार करता है। किन्तु पैरा-2 में उसने यह कहा है कि सुबह उसने प्रेमनारायण माहौर की गाडी में आग लगने और उससे दो ढाई लाख रुपये का नुकसान होने की बात सुनी थी। पैरा-3 में उसने यह भी कहा है कि आरोपी व फरियादी दोनों उसके लिये समान हैं और वह किसी विवाद में नहीं पडना चाहता है। पैरा-4 में उसने यह भी कहा है कि आग लगने से कितना नुकसान हुआ, वह यह नहीं बता सकता और उसने गाडी को नहीं देखा था। इस तरह से कल्लू आदिवासी अ0सा0-5 आरोपी के विरुद्ध तो कथन नहीं

करता है किन्तु उसने इस बात को तो स्वीकार किया है कि फरियादी प्रेमनारायण माहौर की बुलैरो गाडी में आग लगी थी और आग लगने से नुकसान हुआ था। चूंकि उक्त साक्षी भी आदिवासी है और आरोपी भी आदिवासी है, वह किसी विवाद में पडना नहीं चाहता है इसलिये उसके पक्ष विरोधी होने से अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। और आगजनी की घटना होने के बिन्दु पर उसकी अभिसाक्ष्य में आया तथ्य ग्राह्य योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत **योगेशभाई प्राणशंकर भट्ट विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजराज ए 0आई0आर0-2011 सुप्रीमकोर्ट पेज-2328** में साक्ष्य अधिनियम की धारा-3 का विश्लेषण करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्ष विरोधी साक्षी की संपूर्ण साक्ष्य अग्राह्य नहीं की जा सकती है। यदि किसी बिन्दु पर उसकी साक्ष्य विश्वसनीय हो तो वह ग्राह्य योग्य होगी। जो उक्त साक्षी के संदर्भ में इस प्रकरण में भी लागू होता है।

14. इसी प्रकार दशरथसिंह अ0सा0-8 जो कि फरियादी प्रेमनारायण की ही पार्टी का सदस्य है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह आरोपी विनोद को नहीं जानता है और वह ऑफिस से आया था तब उसे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह बात बताई थी कि प्रेमनारायण माहौर की गाडी में आग लग गई है। बाद में वह बीमार हो गया था और पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। परन्तु साक्षी ने भी पैरा-2 में यह स्वीकार किया है कि जिस समय प्रेमनारायण की गाडी में आग लगी थी उस समय वह विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उसने प्र0पी0-8 का ए से ए भाग का अभिसाक्ष्य **दिनांक 20.11.13 .....आग लगाई है'** पुलिस को देने से इन्कार करते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि उसके लिये जैसा आरोपी विनोद वैसा ही फरियादी प्रेमनारायण है और वह किसी बुराई भलाई में नहीं पडना चाहता है। इस साक्षी के संबंध में भी उपर वर्णित न्याय दृष्टांत लागू होता है। और उक्त दोनों के अभिसाक्ष्य से फरियादी प्रेमनारायण की बुलैरो गाडी में आग लगाने के बिन्दु पर तो अभियोजन का समर्थन होता है।

15. फरियादी प्रेमनारायण की गाडी में आग लगने की बात से आरोपी की ओर से इन्कार नहीं किया गया है बल्कि आरोपी की ओर से बचाव में यह आधार लिया गया है कि प्रेमनारायण व उसका पुत्र उससे रंजिश रखते हैं तथा जब प्रेमनारायण विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और मुहल्ले में वोट मांगने आये थे तो उसने यह कहते हुए वोट देने से इन्कार कर दिया था कि वह उनके काम नहीं आया, मुहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं की है इसलिये वह वोट नहीं देगा। जिस पर प्रेमनारायण ने यह धमकी दी थी कि यदि तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और इसी कारण प्रेमनारायण ने झूठा केस लगवा दिया। जैसाकि आरोपी विनोद ने ब0सा0-1 के रूप में अपनी अभिसाक्ष्य में आधार लिया है किन्तु फरियादी प्रेमनारायण अ0सा0-3 को इस तरह का सुझाव नहीं दिया गया है जो कि बचाव साक्ष्य में प्रकट किया है बल्कि प्रेमनारायण अ0सा0-3 के पैरा-6 के अंत में इस आशय का सुझाव दिया गया है कि उसकी गाडी बीमित थी और बीमा राशि प्राप्त करने के लिये फरियादी ने अपने साक्षियों से गाडी में आग लगवाई और बीमा

की राशि प्राप्त करने के लिये झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि फरियादी ने अपने कौनसे सहयोगियों से आग लगावाई। जबकि यह तथ्य स्वयं आरोपी अपनी निजी जानकारी के आधार पर बचाव में लेता है। ऐसे में बचाव का आधार विरोधाभासी होने से उनका कोई सरोकार घटना से होना प्रकट नहीं होता है। न ही कोई कड़ी जुड़ती है बल्कि नलकूप खनन को लेकर जो विवाद आरोपी विनोद ने अपनी बचाव साक्ष्य में प्रकट किया है उसे भी अभियोजन साक्षियों की अभिसाक्ष्य के दौरान किसी भी रूप में प्रकट नहीं किया है। नलकूप खनन की जिस घटना पर से वह विवाद बताता है उसका भी समय स्पष्ट नहीं किया है।

16. पैरा-4 में स्वयं आरोपी विनोद ने इस बात को स्वीकार किया है कि नलकूप खनन के संबंध में जो विवाद वह बता रहा है उससे पहले उसका प्रेमनारायण से कोई विवाद नहीं था और दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। तथा वह जुलूस इत्यादि में भी साथ में आया जाया करता था। आगजनी की घटना के समय विधानसभा चुनाव आने वाला था। इस तरह से आगजनी की घटना विधानसभा चुनाव के आसपास की होना स्वयं आरोपी भी स्वीकार करता है। ऐसे में बचाव साक्षी के रूप में जो तथ्य वह प्रकट कर रहा है उसका कोई आधार ही नहीं है इसलिये बचाव साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बचाव साक्षी की साक्ष्य को भी अभियोजन साक्ष्य की भांति ही विश्लेषण में लिया जाना चाहिए। लेकिन उस रूप में भी विश्लेषण करने पर विनोद अ0सा0-1 के उठाये तथ्य स्थापित नहीं होते हैं।
17. पक्ष विरोधी साक्षियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **अप्पाभाई एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात एआईआर 1998 सुप्रीमकोर्ट पेज-699** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने के कई अज्ञात कारण हो सकते हैं एवं वर्तमान समय में लोगों में एकदूसरे के मामले में न पडने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन की पुष्टि न किये जाने के आधार पर अभियोजन के मामले पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। उक्त न्याय दृष्टांत कल्लू अ0सा0-5 और दशरथसिंह अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य में आई इस स्वीकारोक्ति पर लागू किये जाने योग्य है जिसमें दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि वह किसी विवाद में पडना नहीं चाहते हैं।
18. अभियोजन की ओर से जो अन्य साक्षी पेश हुए हैं जिनमें अ0सा0-1 व अ0सा0-2 फरियादी की राजनैतिक पार्टी के सदस्य हैं, तथा संदीप उसका पुत्र है और शेष पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे में उनके अभिसाक्ष्य का हितबद्धता को देखते हुए सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
19. राधेलाल अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में विधानसभा चुनाव के समय की बताते हुए प्रेमनारायण की बुलैरो गाडी में आग लगी देखने की बात बताई है। और यह भी कहा है कि उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का प्र0पी0-1 का नक्शा मौका भी बनाया था। तथा नुकसानी पंचनामा प्र0पी0-2 भी बनाया

था और 50-60 हजार रुपये का नुकसान हुआ था। उसे रात को दो बजे की घटना की जानकारी मिली थी और रात को करीब साढ़े तीन बजे पुलिस आई थी। और सुबह भी पुलिस ने आकर मौका देखा था। लिखापट्टी की थी। उसके हस्ताक्षर मौके पर ही हुए थे और थाने पर भी हुए थे। गाड़ी प्रेमनारायण के घर के सामने खड़ी थी।

20. हरविलास जो कि प्र0पी0-2 नुकसानी पंचनामा और प्र0पी0-3 के जप्ती पत्र का साक्षी है, उसने भी इस तरह की साक्ष्य देते हुए प्र0पी0-2 व 3 पर थाने पर हस्ताक्षर करना बताया है। दोनों साक्षियों के कथनों में आरोपी का नाम नहीं आया है न ही यह तथ्य आया है कि आग किसने लगाई या कैसे लगी। और दोनों साक्षी इस तथ्य के गवाह भी नहीं हैं कि उनके अभिसाक्ष्य से भी फरियादी प्रेमनारायण की बुलैरो गाड़ी में आग लगना और उससे नुकसानी होना प्रमाणित होता है। आग आरोपी विनोद के द्वारा ही लगाई गई, यह अभी अभियोजन को और प्रमाणित करना है। क्योंकि प्र0पी0-2 के नुकसानी पंचनामा मुताबिक करीब दो ढाई लाख रुपये की नुकसानी बताई गई है जिसमें वाहन का क्षतिग्रस्त विवरण भी अंकित किया गया है इसलिये उसका विश्लेषण करना होगा।

21. बचाव पक्ष की ओर से किया गया यह तर्क कि नुकसानी पंचों के कहे अनुसार अंकित की गई है, किसी विशेषज्ञ या तकनीकी मिस्त्री से इस बारे में प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था, यह इसलिये कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि धारा-435 भा.द.वि के अपराध के लिये कृषि उपज से भिन्न वस्तु के लिये 100 रुपये या उससे अधिक की संपत्ति की नुकसानी अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से रिष्टि होने के मामले में लागू हो जाती है और बुलैरो गाड़ी की जो कीमत बताई गई है तथा जो नुकसानी बताई गई है उससे नुकसानी की अनुमानित राशि का खण्डन नहीं होता है। अ0सा0-1 व अ0सा0-2 पर फरियादी के राजनैतिक संपर्की या सदस्य होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि उक्त दोनों साक्षी किसी हितबद्धता के चलते साक्ष्य देते तब वह आरोपी पर सीधा आक्षेप भी लगा सकते थे जबकि उन्होंने ऐसा प्रकट नहीं किया है। ऐसे में अ0सा0-1 व अ0सा0-2 की साक्ष्य स्वाभाविक स्वरूप की होकर ग्राह्य योग्य है।

22. फरियादी प्रेमनारायण अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि आरोपी विनोद उसके मुहल्ले का है। घटना दिनांक 21-11-13 के रात एक बजे की है। उसकी बुलैरो गाड़ी क्रमांक-एसएलई रजिस्ट्रेशन क्रमांक-एम0पी0-30 सी-1556 से धुंआ निकल रहा था, उसकी बदबू घर में फैल रही थी। उसका लडका संदीप भी पास में ही सो रहा था। वह चिल्लाया था कि गाड़ी में आग लग गई है तब उन्होंने जाकर गाड़ी को देखा था जिसमें आग लगी हुई थी। गाड़ी के पीछे का हिस्सा जल गया था। पीछे लगी स्टेपनी का टायर कवर, गाड़ी के चारों टायर जलकर खतम हो गये थे। आगे का हिस्सा, लाईट व शीशे भी जलकर नष्ट हो गये थे। गाड़ी के गेट भी अधजली हालत में होकर क्षतिग्रस्त हो गये थे और वायरिंग व मशीनरी भी जल गई थी जिससे करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान उसे हुआ था। उसने रात को ही पुलिस को फोन से सूचना दी थी फिर पुलिस मौके पर



आई थी। फिर वह पुलिस के साथ थाना गोहद गया था। और पुलिस को प्र०पी०-4 का लिखित आवेदन दिया था जिस पर पुलिस ने प्र०पी०-5 की एफआईआर लेखबद्ध की थी। दोनों पर उसने अपने हस्ताक्षर बताते हुए पुलिस द्वारा मौके पर आकर उसके सामने प्र०पी०-1 का नक्शामौका बनाना भी बताया है।

23. प्रेमनारायण अ०सा०-3 ने पैरा-3 में यह भी स्वीकार किया है कि उसकी भाभी शीला जो पार्षद है वह आग लगने की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। हरविलास, राधेलाल व कल्लू आदिवासी, सुल्तान आदि करीब 10 लोग मौके पर आये थे। उसका लडका संदीप उसके साथ थाने गया था। घटना के बाद सुबह उसका पुलिस ने बयान लिया था। लेकिन संदीप का लिया या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। घटना वाले दिन संदीप घर पर ही था बाहर नहीं गया था। और पुलिस सुबह के करीब साढ़े सात बजे मौके पर जांच करने आई थी। तब उसकी पत्नी भी घर पर ही थी। पैरा-6 में उसने यह स्वीकार किया है कि प्र०पी०-4 के लेखी आवेदन में उसने अज्ञात राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों के द्वारा आग लगाने का उल्लेख किया था। गाडी की बीमा की राशि प्राप्त करने के लिये झूठी रिपोर्ट करने से उसने इन्कार किया है।

24. ए०एस०आई० एन०सी० यादव अ०सा०-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी प्रेमनारायण के द्वारा दिनांक 21.11.13 को ही रात एक बजे घटना की रात को 2.20 बजे लिखित आवेदन पर से प्र०पी०-5 की एफआईआर लेखबद्ध करना बताया है। और यह भी स्पष्ट किया है कि संज्ञेय अपराध में सीधे एफआईआर दर्ज हो सकती है। रिपोर्ट में किसी पर फरियादी ने संदेह नहीं किया था। इस बात से इन्कार किया है कि अपराध दर्ज करने के पहले जांच आवश्यक थी।

25. इस तरह से अ०सा०-3 व 4 के अभिसाक्ष्य से आगजनी की घटना जिसमें फरियादी प्रेमनारायण की बुलैरा गाडी क्रमांक-एम०पी०-30सी-1556 में आग लगकर नुकसानी हुई, उसकी प्र०पी०-4 की बिना विलंब के रिपोर्ट करना और धारा-435 भादवि का अपराध संज्ञेय होने से आवेदन पर से एफआईआर दर्ज करने में कोई प्रक्रिया या विधि का उल्लंघन नहीं है। इसलिये बचाव पक्ष का यह तर्क कि एफआईआर दर्ज करने के पहले आगजनी की जांच होनी चाहिए, स्वीकार योग्य नहीं है। और अ०सा०-3 व 4 से प्र०पी०-4 व 5 के दस्तावेज प्रमाणित होते हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि दिनांक 21.11.13 के रात करीब 1.00 बजे फरियादी प्रेमनारायण की बुलैरो गाडी में आग लगने से 100 रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान होकर रिष्टि कारित हुई थी। उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य में आग लगाने वाले का नाम प्रकट नहीं होता है इसलिये यह अभियोजन को प्रमाणित करना आवश्यक होना है कि उक्त आगजनी की घटना आरोपी द्वारा ही साशय ज्ञान एवं विश्वास रखते हुए कारित की गई।

26. इस संबंध में अभियोजन के जो महत्वपूर्ण साक्षी थे उनमें से शीलाबाई व ओमप्रकाश परीक्षित नहीं हुए हैं और दशरथसिंह अ०सा०-8 ने समर्थन नहीं किया है। तथा संदीप अ०सा०-7 जो कि फरियादी का पुत्र होकर शेष है,



इसलिये संदीप की अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा क्योंकि न्याय दृष्टांत **बाबू विरुद्ध एम्परर एआईआर 1949 इलाहाबाद पेज 620** के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आगजनी के अपराध के प्रमाण हेतु आशय या ज्ञान होने, अग्नि द्वारा रिष्टि कारित होने और उससे नुकसान होने के तत्व प्रमाणित होना आवश्यक हैं। इस दृष्टि से संदीप के अभिसाक्ष्य का विश्लेषण करना होगा।

27. जहाँ तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि संदीप हितबद्ध साक्षी है और उसका किसी अन्य से समर्थन नहीं है। इस आधार पर उसकी अभिसाक्ष्य को अग्राह्य किया जाये। यह तर्क इसलिये विधिक महत्व नहीं रखता है क्योंकि दाण्डिक विधि में साक्ष्य विधान की धारा-134 के उपबंध मुताबिक साक्षियों की संख्या महत्व नहीं रखती है बल्कि उसकी गुणवत्ता ही महत्वपूर्ण होती है जैसा कि न्याय दृष्टांत **श्यामराव विष्णू पाटिल विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1998 सीआरएलजे पेज-3446** में मार्गदर्शित किया गया है। इसलिये गुण-दोषों पर संदीप की अभिसाक्ष्य को देखना होगा और उस पर केवल फरियादी प्रेमनारायण का पुत्र होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **जुगरू विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2004 (1) एम0पी0एल0जे0 पेज-530** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि कोई साक्षी हितबद्ध है मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य अविवश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। जब तक कि यह प्रमाणित न हो कि उसका असली अपराधी को बचाने में और निर्दोष को लिप्त करने में कोई हेतुक है और संदीप के द्वारा आरोपी को झूठा संलिप्त करने में कोई हेतुक भी नहीं बताया गया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्वर्णसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब (1976)4 एससीसी 369** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि हितबद्ध साक्षी साक्ष्य को सह अपराधी या दूषित गवाह के समान समझा जावे और उसकी साक्ष्य की पुष्टि आवश्यक हो ऐसा नियम नहीं है। ऐसे गवाह की साक्ष्य में भी कोई कमी नहीं मानी जा सकती है। न्यायालय प्रज्ञा के नियम के अनुसार न कि कानून के नियम के अनुसार ऐसे साक्षी की साक्ष्य की छानबीन कर लेने में अपेक्षाकृत सतर्क रखते हैं न्यायालय छानबीन करने के बाद यदि ऐसे साक्षी की साक्ष्य को विश्वसनीय पाता है तब बिना पुष्टि के उस पर विश्वास किया जा सकता है।

28. संदीप अ0सा0-7 के मुताबिक घटना के समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था और घटना के एक दिन पहले आरोपी विनोद शराब पीकर घूम रहा था और गाली-गलौच करते हुए बोल रहा था कि प्रेमनारायण माहौर की ऐसी तैसी कर देंगे। उसके पिता रात्रि को चुनाव प्रचार करके वापिस घर आये थे। और बुलैरो गाडी क्रमांक-एम0पी0-30सी-1556 घर के बाहर दरवाजे पर खडी कर दी थी। रात करीब 1-2 बजे जब वह पेशाब करने के बाहर आया तब उसने गाडी में आग लगी देखी। फिर उसने घर के सभी लोगों को जगाया व पुलिस को बुलाया था। मौके पर पेट्रोल की प्लास्टिक की बोतल व

पूड़ी के पैकेट मिले थे। पुलिस ने मौके पर से उक्त वस्तुएं जप्त की थीं और प्र0पी0-3 का जप्ती पत्रक बनाया था। और बयान भी लिया था। उसने यह भी बताया है कि वह बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र है, और गोहद में ओआईसी कॉलेज से पढाई कर रहा है। ग्वालियर में कोचिंग करने के लिये उसने कथन दिनांक 30.12.14 को दो तीन महीने पहले जाना बताया है। अर्थात् घटना के समय वह गोहद में ही रहना कहता है।

29. इस साक्षी ने पैरा-3 में यह भी स्पष्ट किया है कि वह घटना वाले दिन मकान के बाहर वाले हॉल में अपने जीजा श्रीलाल माहौर के साथ सोया था और उसके पिता पार्टी के 10-12 व्यक्तियों के साथ उपर सोये हुए थे। उसकी माँ एवं बहन सीमा बाई भी थी। रात को विनोद गाली दे रहे थे, इस आधार पर विनोद के द्वारा गाडी में आग लगाना बता रहा है। उसने आग लगाते हुए नहीं देखा था। लेकिन स्वतः यह कहा है कि सबूत मिले थे और पैरा-4 में यह भी कहा है कि घटना के पूर्व सुबह भी विनोद द्वारा गाली दी गई थी जो आरोपी ने रामौतार के चाट के ठेले पर दी थी। उस समय विनोद, वह और रामौतार का लडका जिसका उसे नाम पता नहीं है, मौजूद थे। अन्य कोई नहीं था। और गालियों की बात पुलिस को रिपोर्ट में थाने पर नहीं बताई गई थी। गाली वाली बात उसने अपने पिता को फोन पर बताई थी क्योंकि उसके पिता चुनाव प्रचार में थे। उसके बाद वह पूरा दिन घर पर ही रहा था। और आरोपी मुहल्ले में घूम रहा था। वह अपने पिता के साथ थाने रिपोर्ट को गया था। रिपोर्ट उसके पिता ने लिखाई थी। और वह बैठा रहा था। उसका पुलिस कथन घटना के बाद पुलिस ने सुबह लिखाया था। रामौतार की चाट के ठेले पर उसने गालियाँ घटना वाले दिन सुबह दी थी या चार पांच दिन पहले दी थीं, यह वह निश्चित तौर पर नहीं बता सकता है। लेकिन उसने पुलिस को प्र0डी0-1 के बयान में यह बात बता दी थी कि आरोपी ने रामौतार के चाट के ठेले पर गालियाँ दी थीं और ऐसी तैसी करने वाली बात कही थी। उसका वह निश्चित समय नहीं बता सकता क्योंकि एक साल पहले की बात है।

30. इस साक्षी ने घटना सर्दियों के समय की बताते हुए पैरा-6 में यह कहा है कि घटनास्थल से पुलिस ने स्वयं सामान जप्त किया था। प्लास्टिक की बोतल दो लीटर की सफेद थी जिसमें डीजल की बदबू आ रही थी। और अधजली थी। हाल की पूड़ी के पैकेट व बस का टिकट भी जप्त हुआ था और एक दो चीजें और भी मिली थीं। उसने भी गाडी का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना अपने पिता प्रेमनारायण की तरह ही बताया है। पैरा-8 में यह कहा है कि गाडी बाहर से पूरी तरह जल गई थी। अंदर से नहीं जली थी। हैण्डपंप लगाने पर से आरोपी और उसके पिता के बीच विवाद की उसे जानकारी नहीं है।

31. इस प्रकार संदीप अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य में वह आरोपी के द्वारा गाडी में आग लगाने की बात उसके पूर्ववर्ती आचरण के आधार पर बताता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-8 में पूर्ववर्ती आचरण सुसंगत तथ्य की भांति ग्राह्य योग्य होता है। और संदीप की अभिसाक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि रामौतार के चाट के ठेले पर आरोपी द्वारा कुछ

नहीं कहा गया। ऐसे में संदीप अ0सा0-7 का अभिसाक्ष्य विश्वासयोग्य होकर ग्राह्य योग्य है। और उसके पुलिस कथन प्र0डी0-1 में आये विरोधाभाष तात्विक स्वरूप के नहीं माने जा सकते हैं। इसलिये संदीप का अभिसाक्ष्य उपर वर्णित न्यायदृष्टांत **जुगरू** वाले के आधार पर विश्वसनीय है और बचाव पक्ष का यह तर्क कि मामला शंका पर आधारित होकर प्रमाणित नहीं है, नहीं माना जा सकता है। क्योंकि पूर्ववर्ती आचरण के बाबत आरोपी मौन है।

32. बचाव पक्ष का यह तर्क कि यदि संदीप को आरोपी के संबंध में पूर्व से जानकारी थी तो रिपोर्ट प्र0पी0-4 में उसका नाम क्यों नहीं आया और अज्ञात रिपोर्ट क्यों लिखाई गई जबकि संदीप साथ में थाने गया था। उसने तत्काल पुलिस को आरोपी के पूर्ववर्ती आचरण की जानकारी क्यों नहीं दी। इसलिये संदेह माना जाये। यह बात इसलिये स्वीकार योग्य नहीं है कि संदीप की अभिसाक्ष्य स्वाभाविक स्वरूप की है और उसके द्वारा जो घटनास्थल से वस्तुएं जप्त होना बताया गया है उसकी पुष्टि प्र0पी0-3 के जप्ती पत्र से भी होती है जिसमें मौके से एक अधजली प्लास्टिक की बोतल दो लीटर की, जो पिघलकर छोटी हो गयी थी और उसमें डीजल की गंध आ रही थी। तथा अधजले कपड़े, अधजले सब्जी पूड़ी के टुकड़े, अधजले एक रुपये का सिक्का और अधजले कपड़ों से भी डीजल की गंध आना और एक पर्ची जिस पर यात्री टिकट लिखा था और जो गीली थी और उसमें से भी डीजल की गंध आ रही थी उन्हें जप्त किया था जिसकी पुष्टि जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी टी0आई0 जे0पी0भट्ट अ0सा0-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में भी की है। ऐसी स्थिति में संदीप अ0सा0-7 का अभिसाक्ष्य पूर्ण विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी का होकर ग्राह्य योग्य है।

33. टी0आई0 जे0पी0 भट्ट अ0सा0-9 ने उक्त प्रकरण के अनुसंधान में घटनास्थल पर पहुंचकर प्र0पी0-1 का नक्शामौका निरीक्षण कर तैयार करना, घटनास्थल पर बुलेरो क्रमांक-एम0पी0-30 सी-1556 का निरीक्षण कर आग से जलने के कारण क्षति की नुकसानी का पंचनामा साक्षियों के समक्ष प्र0पी0-2 तैयार करना तथा घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष अधजली प्लास्टिक की बोतल, अधजले कपड़े, पूड़ी के टुकड़े, सब्जी पूड़ी की प्र0पी0-3 के मुताबिक जप्ती कर शेष विवेचना बीट प्रभारी एएसआई आरपीएस तोमर को सौंपना बताई है जिसके संबंध में प्रतिपरीक्षण में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आया है बल्कि पैरा-2 में उक्त विवेचक ने यह भी बताया है कि जो सामान जप्त हुआ था उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी व्यक्ति ने डीजल डालकर बुलेरो जीप में आग लगाई थी। उसकी कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति विशेष का नाम प्रकाश में नहीं आया था। संदीप माहौर जो फरियादी प्रेमनारायण का लडका है, और जप्ती का गवाह है, उसने मौके की कार्यवाही के समय आरोपी का नाम नहीं बताया था किन्तु अभियोजन कथानक मुताबिक उक्त विवेचक की कार्यवाही दिनांक 21-11-13 की है। और आरोपी के संबंध में जो साक्ष्य अनुसंधान के दौरान आई वह दिनांक 30.11.13 और उसके बाद पुलिस कथनों के माध्यम से आई है। ऐसे में टी0आई0 जे0पी0भट्ट की कार्यवाही के दौरान आरोपी का नाम न आना किसी अन्यथा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कोई कारक नहीं है।

34. घटना की शेष विवेचना करने वाले राजपालसिंह तोमर अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में उक्त अपराध की विवेचना दिनांक 29-11-13 को प्राप्त होने पर करना बताया है जिसमें उसने कल्लू आदिवासी, संजय राठौर, बाबूलाल आदिवासी और फरियादी प्रेमनारायण के कथन उसी दिन लिये। उसके बाद दिनांक 30.11.13 को संदीप, ओमप्रकाश, और शीला के कथन लिये। दशरथ का कथन दिनांक 04-12-13 को लिया जिसमें आये तथ्यों के आधार पर दिनांक 06.12.13 को आरोपी विनोद को प्र0पी0-7 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया गया था। और उसका यह कहना है कि कल्लू ने प्र0पी0-6 का और संदीप ने प्र0डी0-1 कथन उसे दिया था। रामौतार का कथन उसने नहीं लिया था जिसके चाट के ठेले की बात आई थी। क्योंकि रामौतार राठौर जो गंज बाजार में चाट का ठेला लगाता था वह बाहर मेले में चाट का ठेला लगाने चला गया था। इस बात से उसने इन्कार किया है कि शीला, दशरथ और ओमप्रकाश के कथन उसने अनावश्यक लिये थे।
35. बचाव पक्ष का मूलतः यह आधार है कि आरोपी को किसी ने आग लगाते हुए नहीं देखा और केवल संदीप ने शंका व्यक्त की है, उस आधार पर अभियोजित कर दिया गया है और शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि शंका का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। जबकि उपर किये गये विश्लेषण में आरोपी का पूर्ववर्ती आचरण की सुसंगतता मानी गई है। तथा जो आक्षेप संदीप अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है उससे आरोपी के पूर्वतन आचरण से घटना की कड़ी जुड़ रही है। ऐसे में बचाव पक्ष का तर्क विधिक रूप से कोई महत्व नहीं रखता है। और रामौतार का साक्षी के रूप में शामिल न किये जाने का कारण विवेचक अ0सा0-6 ने पैरा-5 में स्पष्ट किया है। ऐसे में प्रकरण में तात्विक स्वरूप की कोई विषंगतियाँ या विरोधाभाष इस श्रेणी के नहीं आये हैं जो कि अभियोजन की घटना को संदिग्ध बनाते हों।
36. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत **मुहम्मद शफी विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2013 भाग-3 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-97** को प्रस्तुत करते हुए उसके आधार पर दोषमुक्ति की प्रार्थना की है। उक्त न्याय दृष्टांत का अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि न्याय दृष्टांत के मामले में फरियादी सईदा सुल्ताना के द्वारा अपने पति मुहम्मद शफी एवचं पुत्र सिराज अहमद के विरुद्ध घर में आग लगाने की घटना बताई गई थी जिसमें मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई गई थी और उससे संपत्ति का नुकसान हुआ था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के निष्कर्ष को इस आधार पर खण्डित माना था कि न्याय दृष्टांत के मामले में आरोपी फरियादी के मध्य मूल विवाद मकान के कब्जे को लेकर था और आरोपी फरियादी के बीच उनके दाम्पत्य संबंध खराब थे। तथा घटना एक साल के भीतर ही विवाह विच्छेद की कार्यवाही उनके मध्य संचालित हुई थी। अर्थात्

न्याय दृष्टांत के प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों इस प्रकरण से पूर्णतः भिन्न है तथा हेतुक भी भिन्न है। इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत को विचाराधीन मामले में लागू नहीं किया जा सकता है और उसका आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

37. जहाँ तक यह प्रश्न है कि रिपोर्ट के लिये फरियादी प्रेमनारायण और उसका लडका संदीप थाने गये थे और उस समय संदीप के द्वारा जो घटना के पूर्ववर्ती आचरण की बात बताई गई थी उसे पुलिस से सांझा क्यों नहीं किया। इसका स्पष्टीकरण संदीप अ0सा0-7 के पैरा-5 में मिल जाता है क्योंकि संदीप ने रिपोर्ट के समय अपने पिता के साथ जाने की बात से इन्कार नहीं किया लेकिन उसके मुताबिक उसके पिता थाने में जब रिपोर्ट लिखा रहे थे तब वह बाहर बैठा था और प्रेमनारायण अ0सा0-3 ने भी अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-4 में यह कहा है कि जब उसका पुलिस ने बयान लिया था उस समय उसके लडके का बयान लिया या नहीं, यह उसे याद नहीं है। संदीप का प्र0डी0-1 का पुलिस कथन रिपोर्ट दिनांक का न होकर उसके बाद दिनांक 30.11.13 का है। और संदीप ने स्वयं आग लगाते हुए देखने की बात नहीं कही है इसलिये उसका अभिसाक्ष्य कथानक अनुरूप है तथा कोई अस्वाभाविक अभिवृद्धि उसके द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं की गई है। इस कारण उसे विश्वसनीय पाया गया है।

38. इस प्रकार से उपरोक्त चरणबद्ध तरीके से अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये अभियोजन और बचाव पक्ष का मौखिक साक्ष्य एवं कथानक के दस्तावेजों के सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 21-11-13 को रात करीब 1.00 बजे जब फरियादी प्रेमनारायण के आधिपत्य की बुलेरो गाडी क्रमांक-एम0पी0-30सी-1556 जो उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी उसमें आरोपी विनोद के द्वारा डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करते हुए आग लगाई गई जिसकी वजह से उक्त बुलेरो गाडी जलकर क्षतिग्रस्त हुई और उससे फरियादी प्रेमनारायण को 100 रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान होकर रिष्टि कारित हुई जिस हेतु ज्ञान और आशय दोनों प्रमाणित होते हैं। अर्थात् धारा-435 भा0द0वि0 के अपराध के प्रमाण हेतु आवश्यक समस्त अवयवों की पूर्ति उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से होती है। इसलिये अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। फलतः आरोपी विनोद को धारा-435 भा0द0वि0 के अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है। और उसे दण्डाज्ञा पर सुनने के लिये निर्णय धारा-235(2)द0प्र0सं0 के तहत स्थगित किया जाता है क्योंकि मामले में आरोपी को अपराधी को उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत या धारा 325 या 360 द0प्र0सं0 के तहत लाभ की पात्रता नहीं आती है।

(पी0सी0 आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

—::— द ण डा झा —::—

39. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर चिंतन, मनन किया गया। विद्वान ए0जी0पी0 का तर्क है कि घटना में अकारण ही आरोपी ने फरियादी की गाड़ी में आग लगा दी जिससे उसे करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इसलिये आरोपी को कडा दण्ड दिया जावे। ताकि इस तरह के अपराधों की रोकथाम हो सके। और अपराधियों के मन में कानून का भय बना रहे। जबकि आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी गरीब आदिवासी होकर नवयुवक है, मजदूर पेशा है। फरियादी राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है और उसने आरोपी को झूठा फंसा दिया है। आरोपी शांतिप्रिय नागरिक है और प्रथम अपराधी है। इसलिये उसे सदाचार की परीक्षा पर छोड़ दिया जावे। या जुर्माने से दण्डित कर छोड़ दिया जावे। क्योंकि अभियोजन का उसने निरंतर उपस्थित रहकर सामना किया है।
40. अभिलेख पर आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण न होने से उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है। किन्तु अपराधी परीक्षा अधिनियम के तहत लाभ की पात्रता न होना पूर्व में ही निर्धारित किया जा चुका है। जहाँ तक केवल अर्थदण्ड से दण्डित करने का प्रश्न है, दोषसिद्ध अपराध धारा-435 भा.दं.वि. में कारावास और अर्थदण्ड दोनों सजाएँ आवश्यक हैं। तथा अपराध को विधायिका द्वारा भी गंभीर मानते हुए सत्र विचारणीय संशोधन द्वारा किया गया है इसलिये केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपी को नहीं छोड़ा जा सकता है। यह सही है कि आरोपी वर्तमान में करीब 32 वर्षीय नवयुवक है किन्तु उसके द्वारा बिना किसी हेतुक के घटना को अंजाम देते हुए एक नागरिक की संपत्ति को भारी नुकसान अग्नि द्वारा कारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपराध को हल्के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तथा वर्तमान में समय में बढ़ती जनसंख्या के दबाव एवं भूमि के सिकुड़ते रकवे के कारण वाहनों के रख रखाव की आम समस्या होने से अधिकांश लोग खुले में ही वाहनों को रखने के लिये विवश हैं। ऐसे में इस तरह के लोगों की रोकथाम के लिये तथा इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यथोचित दण्ड आवश्यक है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **धनंजय चटर्जी विरुद्ध स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल (1994) द्वितीय एससीसी पेज-220** में यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को समुचित दण्डाज्ञा अधिरोपित करते समय केवल अभियुक्त के अधिकारों का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए अपितु अपराध के शिकार हुए व्यक्ति एवं जनसाधारण को भी ध्यान में रखना चाहिए।
41. हस्तगत मामले में आरोपी द्वारा की गई आगजनी की घटना में फरियादी को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है और उसे निश्चित रूप से घटना से मानसिक कलेश भी उत्पन्न हुआ है। ऐसे में प्रकरण की समस्त

परिस्थितियों के मद्देनजर आरोपी विनोद को धारा-435 भा.दं.वि.के अपराध के लिये पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/-रूपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर व्यतिक्रम में आरोपी को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

42. आरोपी के द्वारा विचारण के समय प्रस्तुत किये गये जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
43. आरोपी का सजा वारण्ट तैयार कर उसे सजा भुगताये जाने हेतु उपजेल गोहद भेजा जावे। विचारण के दौरान आरोपी न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।
44. आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा करने पर बतौर प्रतिकर सांकेतिक रूप से फरियादी प्रेमनारायण माहौर पुत्र ख्यालीराम माहौर निवासी छत्तरपुरा वार्ड नंबर-1 गोहद को 5,000/-रूपये (पांच हजार रुपये) अपील अवधि पश्चात दिलाये जावें।
45. प्रकरण में जप्तशुदा अधजली प्लास्टिक की बोतल, कपड़े, पूड़ी, यात्रा की पर्ची इत्यादि जो प्र0पी0-3 के जप्ती पत्रक अनुसार जप्त किये गये हैं, वह मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरान्त विधिवत नष्ट किये जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।
46. निर्णय की एक प्रति निःशुल्क आरोपी को प्रदान की जावे। एवं एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को भी भेजी जावे।

दिनांक: 27 फरवरी-2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड